[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 36/2017-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, तारीख 30 जून, 2017

सा.का.नि. ...(अ) केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 373(अ), तारीख 29 मार्च, 1958 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 106, तारीख 29 मार्च, 1958 को अधिक्रांत करते हुए, सिवाय उन बातों के जिनको ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया था, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में आने वाले और नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट मालों को उन पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क, जो उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और उन पर क्रमश: सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) और उपधारा (9) के अधीन उद्ग्रहणीय एकीकृत कर और माल तथा प्रतिकर उपकर से छूट प्रदान करती है, यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति या कार्यकाल के दौरान किसी बांड में से आयात या क्रय की जाएं ।

सारणी

क्रम सं.	**विवरण**
(1)	**(2)**
1.	उप राष्ट्रपति या उनके कुटुंब के किसी सदस्य के वैयक्तिक उपयोग, पहनने या उपभोग के लिए वस्तुएं
2.	उप राष्ट्रपति की गृहस्थी या उनके अतिथियों, चाहे शासकीय हों या नहीं, द्वारा उपभोग के लिए खाद्य, पेय और तंबाकू ;
3.	उप राष्ट्रपति के किसी भी शासकीय निवास की सज्जा के लिए वस्तुएं;
4.	उप राष्ट्रपति के उपयोग के लिए उपलब्ध कराई गई मोटर कारें ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 354/119/2017-टी.आर.यू]

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार